PLANNING AND RESEARCH DEPARTMENT
No. 602
Dt. 13/2/23
PUDUCHERRY

585/G

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY
RECEIVED
9 FEB 2023
PUDUCHERRY

F. No. 15039/189/2022-UTL(Coord.) CF-3614095
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
UT Division
***

North Block, New Delhi
Dated the 08th February, 2023

To,

1. The Chief Secretary, UT of Andaman & Nicobar Islands, Port Blair
2. The Advisor to the Administrator, UT of Chandigarh, Chandigarh
3. The Advisor to the Administrator, UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
4. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi
5. The Chief Secretary, UT of Jammu & Kashmir
6. The Advisor to the Lt. Governor, UT of Ladakh
7. The Advisor to the Administrator, UT of Lakshadweep, Kavaratti
8. The Chief Secretary, Government of Puducherry

Subject: Record of Discussion (RoD) of the Conference on Union Territories – regarding.

Sir,

I am directed to share the Record of Discussion (RoD) on the Conference on Union Territories which was held on 29.12.2022 under the chairmanship of Hon'ble Union Home and Cooperation Minister, for kind attention and necessary action.

2. UTs are requested to share the action taken on the directions given by the of Hon'ble Union Home and Cooperation Minister by 14.02.2023.

Encl.: As above

O o. D.C & COMMR -cum- SECY
(FIN/PLG/IT/CTD & E & S)
FTS. No.
F.No. 1116/DC/2023
Receipt on: 09/02/2023
Despatch on: 10/2/2023

Yours faithfully,

08/02/2023

(Kanishk Chaudhry)
DC (UT)
Tel: 23093446

Copy to:

1. The Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs
2. The Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs

Copy for information to:

1. The Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance
2. The Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade
3. The Secretary, Ministry of Tourism

चर्चा का रिकॉर्ड

संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन

दिनांक 29 दिसंबर, 2022 | 11:20 पूर्वाह्न | 35, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली

संघ राज्य क्षेत्रों का संपूर्ण देश के सुशासन और विकास का मॉडल तैयार करने तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय विज़न 2047 के अनुरूप बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुसरण में, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में, संघ राज्य क्षेत्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके प्रतिभागियों की सूची ***संलग्नक I*** में देखी जा सकती है।

2. आरंभ में, केंद्रीय गृह सचिव ने गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। निवासियों के जीवन की उच्चतम गुणता सुनिश्चित करने, उन्हें नागरिक सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराने और उनके लिए विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने सुशासन के मॉडल के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को यह प्रोत्साहन दिया कि वे इस सम्मेलन में उत्साहपूर्वक भाग लें, क्योंकि यह सम्मेलन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां वे न केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं, उपलब्धियों, सरोकारों, प्राथमिकताओं और विलक्षण चुनौतियों के बारे में बात कर सकते हैं, बल्कि एक-दूसरे से सीख भी ले सकते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अपने ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं। उन्होंने इस सम्मेलन में उठाए गए कदमों को संक्षेप में स्पष्ट किया, तीन वर्टिकलों-आर्थिक संवृद्धि, पर्यटन, और फ्लैगशिप स्कीमों को स्पष्ट किया तथा प्रत्येक वर्टिकल के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष प्रस्तुतियों और उनके उप-विषयों की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रत्येक वर्टिकल का संदर्भ निर्धारित करने के बाद, उन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों के आयोजक से यह अनुरोध किया कि वे अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करें, और उसके बाद प्रत्येक प्रस्तुति पर 30 मिनट तक चर्चा की गई। उसके बाद,उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को आमंत्रित किया कि अपने मूल्यवान इनपुट और मार्गदर्शन से लाभान्वित करें।

3. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस तथ्य पर बल दिया कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष को "अमृत काल" बताया है । भारत का समग्र लक्ष्य यह है कि उसे वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनना है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार, सीमित जनसंख्या और सरल प्रशासनिक संरचना के कारण वे सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जिन्हें भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।

4. मुख्य सचिव, दिल्ली ने इस सम्मेलन के पहले वर्टिकल (आर्थिक संवृद्धि) के बारे में विशेष रूप से जोर दिया, जिसमें उन्होंने सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान आर्थिक स्थिति, उनकी संभावनाओं, सामर्थ्यों और चुनौतियों को अभिव्यक्त किया। उन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों की त्वरित आर्थिक संवृद्धि और उनकी महत्वाकांक्षाओं की प्राथमिकता के आर्थिक सेक्टरों पर भी विशेष रूप से बल दिया ।

5. मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने पर्यटन वर्टिकल पर प्रस्तुति दी और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन की संभावना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सफलताओं, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, सामर्थ्यों, चुनौतियों और उनके समाधानों तथा महत्वाकांक्षी बड़ी पर्यटन परियोजनाओं के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया।

6. मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर ने विकास के मॉडलों के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों के तीसरे वर्टिकल (फ्लैगशिप स्कीम) पर प्रस्तुति दी। उन्होंने फ्लैगशिप स्कीमों को पूरी तरह लागू करने में संघ राज्य क्षेत्र की प्रगति, पालन की गई सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लक्ष्य/विज़न को प्रस्तुत कर वर्टिकल को समाप्त किया। इसकी तीन प्रस्तुतियों की प्रतियां ***संलग्नक II*** में देखी जा सकती हैं।

7. माननीय मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा की गई टिप्पणियां:

i. संघ राज्य क्षेत्रों ने फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन के संदर्भ में सामान्यतः राष्ट्रीय औसत से बेहतर निष्पादन किया है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों को अपने उच्चतर लक्ष्य रखने चाहिए और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन करने का लक्ष्य करना चाहिए।

ii. यह देखा गया है कि आर्थिक संवृद्धि को त्वरित करना और रोजगारों का सृजन करना पारंपरिक रूप से केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में आता है। अब इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। लोगों को सामाजिक सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ाने और संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर ध्यान केंद्रित कर, राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि के विकास में मुख्य भूमिका निभाने का प्रयास भी करना चाहिए।

iii. संघ राज्य क्षेत्रों को आगामी वर्षों के लिए एक ऐसा विज़न दस्तावेज तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे जिसमें यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारित किए गए हों और उनकी समय सीमाएं भी निर्धारित की गई हों | इन लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिए और भविष्य के लिए यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान प्रगति का मापन स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित संकेतकों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को लागू करने के लिए, नीति आयोग संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसंधान और अन्य सहायता प्रदान कर सकता है।

iv. संघ राज्य क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठोस एवं प्रभावी रोडमैप भी तैयार करना चाहिए।

v. भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए और परियोजनाओं की क्लियरेंस प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण और संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे कि समसामयिक जरूरतें पूरी की जा सकें और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। प्रधान मंत्री गतिशक्ति का उपयोग प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए, जिससे कि परियोजनाओं की समग्र योजना तैयार की जा सके, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और स्पेशल परपज़ वेहिकल (SPV) मॉडलों का उपयोग प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए।

vi. संघ राज्य क्षेत्रों को राजस्व उत्पादन को बढ़ाने और संसाधनों का उपयोग करने के तरीके निर्धारित करने चाहिए।

vii. माननीय प्रधानमंत्री जी ने "whole of government approach" के बारे में बारंबार जोर दिया, जिसे अभी पूरी तरह से साकार किया जाना बाकी है। परियोजनाओं को यथासमय पूरा करने के लिए, विभिन्न विभागों को तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।

viii. प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की अपनी सामर्थ्य, प्राथमिकताओं और सरोकार के कारण अपना एक विशेष स्थान है। इसलिए, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एकसमान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता।

प्रतिभागियों की सूची

अध्यक्ष

1. श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
2. श्री राजीव गौबा, मंत्रिमंडल सचिव
3. श्री अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव
4. श्री आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव (यूटी और जेकेएल), गृह मंत्रालय
5. श्री साकेत कुमार, माननीय गृह मंत्री के निजी सचिव
6. श्री शिव कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री (एन) के निजी सचिव
7. श्री प्रवीण कुमार राय, निदेशक (यूटी), गृह मंत्रालय
8. श्री राकेश कुमार पांडेय, निदेशक(सुरक्षा और सी एंड एस), गृह मंत्रालय
9. श्री बी.जी. कृष्णन, निदेशक (सेवाएं), गृह मंत्रालय
10. श्री डी. प्रशांत कुमार रेड्डी, उप सचिव(जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख), गृह मंत्रालय
11. श्री हरजोत सिंह संधू, उप सचिव (एएनएल और यूटीएल), गृह मंत्रालय
12. श्री रवि रंजन, द्वितीय कमान अधिकारी (यूटी), गृह मंत्रालय
13. श्री कनिष्क चौधरी, उप कमांडेंट (यूटी), गृह मंत्रालय

पर्यटन मंत्रालय

14. श्री गंजी कमला वर्धन राव, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

15. श्री राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

16. श्री एंटोनी सिरिएक, सलाहकार (प्रशासन)

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र

17. श्री केशव चंद्रा, मुख्य सचिव
18. श्री अर्जुन शर्मा, सचिव
19. श्री दिलखुश मीणा, एसडीएम
20. श्री राहुल देव बोरा, आईएएस, प्रोबेशनर

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

21. श्री धर्म पाल, प्रशासक के सलाहकार
22. सुश्री हरगुंजित कौर, विशेष सचिव, वित्त
23. सुश्री अनीशा श्रीवास्तव, आईएएस, प्रोबेशनर

दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र

24. श्री गौरव सिंह राजावत, प्रशासक के सलाहकार (प्रभारी)/सचिव (गृह/वित्त)
25. श्री सौरभ मिश्रा, सचिव (पीडब्ल्यूडी)
26. श्रीमती भानु प्रभा, कलेक्टर, डीएनएच
27. श्री प्रांजल जे. हजारिका, निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (पीडब्ल्यूडी)
28. श्री एस. कृष्णा चैतन्य, निदेशक-सह-उप सचिव (उद्योग, व्यापार और वाणिज्य)
29. श्री शिवम तेवतिया, निदेशक-सह-सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

30. श्री नरेश कुमार, मुख्य सचिव
31. श्री आशीष कुंद्रा, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन)
32. डॉ दिलराज कौर, सचिव-सह-आयुक्त (एफ एंड सीएस)
33. श्री अमित सिंगला, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
34. श्रीमती निहारिका राय, सचिव (वित्त/योजना/पर्यटन)
35. सुश्री पूजा जैन, सदस्य वित्त, दिल्ली जल बोर्ड
36. सुश्री सोनालिका जीवानी, विशेष सचिव (यूडी)

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

37. श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव
38. श्री प्रशांत गोयल, प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य
39. डॉ राघव लैंगर, सचिव, योजना विकास एवं निगरानी
40. श्री सरमद हफीज, सचिव (पर्यटन)

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

41. श्री उमंग नरूला, उप राज्यपाल के सलाहकार
42. श्री संजीव खिरवार, प्रधान सचिव
43. श्री अजीत कुमार साहू, आयुक्त सचिव
44. श्री महबूब अली खान, आयुक्त सचिव
45. श्री लक्ष्य सिंघल, कार्यकारी निदेशक

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र

46. श्री अनबरासु ए., प्रशासक के सलाहकार
47. श्री अर्जुन मोहन, एडीएम
48. श्री विशाल शाह, निदेशक पर्यटन

पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

49. श्री राजीव वर्मा, मुख्य सचिव
50. श्री पी. जवाहर, सचिव (शिक्षा/उद्योग और वाणिज्य)
51. डॉ ए. मुथम्मा, सचिव (परिवहन/श्रम)
52. सुश्री ऋषिता गुप्ता, निदेशक, डीआरडीए
53. श्री रोमिल सिंह डोंक, सहायक कलेक्टर
54. श्रीमती पी. प्रियतर्शिनी, निदेशक, पर्यटन